न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 33 / 2022(GCMS 2022/120)
(आरटीआई नं. 212886108777247)

मोती चौधरी मार्फत कमलेश रानी पुत्री राम कुमार निवासी चक 17 बीबी, पदमपुर –335041 (मोबाईल नं. 63783–16754)

बनाम

प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2022 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाकर, वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

सिलिंग केस, एसडीएम, करणपुर द्वारा

1. सरकार के नाम हरचन्द पुत्र दौला मुकद्दमा नं. 837 / 73 निर्णय दिनांक 28.02.75
2. सरकार के नाम रामकुमार पुत्र हरचन्द मुकदमा नं. 838 / 73 निर्णय 28.02.75 सम्पूर्ण फाईल की कॉपी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने **पत्रांक जि.अभिलेखागार/22/33** दिनांक 05.05.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना मु.नं. 837/73 सरकार बनाम हरचन्द निर्णय दिनांक 28.2.75 एवं मुकदमा नं. 838/73 सरकार बनाम रामकुमार निर्णय दिनांक 28.02.75 की पत्रावली की नकल चाही गयी है, जो तलाश की गयी परन्तु उक्त पत्रावली 1973 से 1975 तक के बस्तों में उपलब्ध नहीं हो रही है।
>
> उक्त रिकॉर्ड काफी पुराना है। जिसकी तलाश की जा रही है। उपलब्ध होते की सूचित कर दिया जायेगा।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगांगनगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध हो गई हो तो, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के** प्रावधानानुसार **सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर